पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 150/2019

अनवान :

1. सुरेशकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. राजेन्द्रकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कमला देवी
4. सुमित्रा
5. गायत्री
6. बिमला
7. मनीषा

} पुत्रियां मदनलाल जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

8. एसबीआई (एसबीबीजे) शाखा मूर्तिचौक भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री बंशीधर शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के वर्तमान खाता सं0 190/151 के खसरा सं0 504/1 की 3.1050 है0 खसरा सं0 559/1 की 10.8060 है0 खसरा सं0 561/1 की 1.5370 है0 कुल किता 3 की 15.4480 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी मदनलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 मदनलाल के बजाय वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 राजेन्द्र कुमार दोनों 7/8 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 मदनलाल 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि एसबीआई (एसबीबीजे) बैंक शाखा मूर्तिचौक भादरा के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 राजेन्द्र कुमार दोनों के नाम 7/8 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 मदनलाल के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 150/2019

अनवान :

1. सुरेशकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. राजेन्द्रकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कमला देवी
4. सुमित्रा
5. गायत्री
6. बिमला
7. मनीषा

(3 से 7) पुत्रियां मंदनलाल जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

8. एसबीआई (एसबीबीजे) शाखा मूर्तिचौक भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादीगण**
वकील श्री बंशीधर शर्मा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 16.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के वर्तमान खाता सं0 190/151 के खसरा सं0 504/1 की 3.105 है0 खसरा सं0 559/1 की 10.806 है0 खसरा सं0 561/1 की 1.537 है0 कुल किता 3 की 15.448 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी मदनलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा पन्नाराम की खातेदारी हुआ करती थी जो पन्नाराम के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के चलते उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल तन्हा प्रतिवादी मदनलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 तां 7 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया है जिसमें प्रतिवादीगण सं0 3 ता 7 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 राजेन्द्रकुमार के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी मदनलाल के नाम से दर्ज है वह वादी एंव प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार को 7/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तथा प्रतिवादी मदनलाल को 1/8 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मदनलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

.वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादीगण सं0 8 व 9 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेशकुमार के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 190/151 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर सं0 361, 342 ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2, 3 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता पन्ना से उनकी मृत्युपरान्त विरासलन प्राप्त हुई जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तांवेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वादभूमि दादालाई होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर सं0 361, 342 ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2, 3 प्रदर्शित करवाई है जिनके 14 नम्बर कॉलम में वादभूमि विरासतन प्राप्त होना व 7 नम्बर कॉलम के अनुसार वादी के दादा पन्ना वल्द जसराम से उसके वारिसान बनवारीलाल व मदनलाल को प्राप्त होना साबित है। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व वादी के पिता मदनलाल को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में मदनलाल के वारिसान में पत्नि धर्मादेवी, दो पुत्र सुरेश कुमार, राजेन्द्र कुमार व पांच पुत्रियां कमला, सुमित्रा, गायत्री, बिमला, मनिषा मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है तथा डिक्री किये जाने योग्य है।

16.8.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के वर्तमान खाता सं0 190/151 के खसरा सं0 504/1 की 3.1050 है0 खसरा सं0 559/1 की 10.8060 है0 खसरा सं0 561/1 की 1.5370 है0 कुल किता 3 की 15.4480 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी मदनलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 मदनलाल के बजाय वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 राजेन्द्र कुमार दोनों 7/8 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 मदनलाल 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि एसबीआई (एसबीबीजे) बैंक शाखा मूर्तिचौक भादरा के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 राजेन्द्र कुमार दोनों के नाम 7/8 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 मदनलाल के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16·08·2019 .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16·8·19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़